राज्यपाल सचिवालय
लोक भवन, जयपुर

क्रमांकः प.17(43)लो.भ./2026/4676 दिनांक 10 अगस्त, 2026

आदेश

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती–2024 की प्रतियोगी परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों का प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा इस सचिवालय में नियुक्ति हेतु किये गये आवंटन के क्रम में निम्नांकित अभ्यर्थियों को राज्यपाल सचिवालय में रिक्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर राजस्थान राज्यपाल सचिवालय (राज्य, अधीनस्थ, मंत्रालयिक एवं चतुर्थ श्रेणी) सेवा नियम, 2024 के प्रावधानों के अन्तर्गत अस्थाई आधार पर दो (02) वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी (प्रोबेशनर ट्रेनी) के रूप में नियत पारिश्रमिक रूपये 12,600/– प्रतिमाह एवं परिवीक्षाकाल सन्तोषजनक रूप से पूर्ण करने के पश्चात पे लेवल– **"एल–2"** में निम्नांकित शर्तों के आधार पर कार्य संभालने की तिथि से एतदद्वारा नियुक्त किया जाता है :–

क्र.सं.	अभ्यर्थी का नाम	पिता का नाम	वर्ग	मेरिट नं.	रोल नं.	जन्म तिथि
1.	श्री गणेश राम	श्री बाबु लाल	OBC	475	1951332	05.03.1998
2	श्री अरूण	श्री रामकिशोर	OBC	642	3022807	27.09.2003
3	श्री अभिषेक शर्मा	श्री उमाशंकर शर्मा	EWS	736	2262788	21.04.2004
4	सुश्री मनीषा कुमारी	श्री गौरन सिंह	GEN	1902	2402480	23.06.1998
5	श्री मांगीलाल लववंशी	श्री गोविंद लाल	OBC	13800	2169194	09.10.1999
6	श्रीमती बबीता कुमारी	श्री सम्पत सिंह बैरवा	SC	46436	2873041	01.06.1993

1. उपरोक्त अभ्यर्थियों को आदेश जारी होने की दिनांक से 30 दिवस की अवधि में अपने पद का कार्यभार संभालना होगा। यदि अभ्यर्थी किसी कारणवश 30 दिवस में उक्त पद का कार्यभार संभालने में असमर्थ हो, तो पूर्ण विवरण के साथ कारण स्पष्ट करते हुए निम्न अधोहस्ताक्षरकर्ता को सूचित कर देवें कि वे कब तक कार्यभार संभालेंगे। निर्धारित अवधि में कार्यभार नही संभालने अथवा कोई उत्तर प्राप्त नही होने की स्थिति में नियुक्ति आदेश निरस्त करने की कार्यवाही की जावेगी।
2. अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व नियत वेतन (Fix Pay) पर कार्य करने की अपनी सहमति लिखित रूप में प्रस्तुत करनी होगी।
3. अभ्यर्थी की नियुक्ति तिथि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर कार्यग्रहण की तिथि से मान्य होगी।
4. परिवीक्षाधीन कालावधि के दौरान वित्त विभाग की अधिसूचना प.15(1)वित्त/नियम/2017 दिनांक 30.10.2017 के नियम 21 व परिशिष्ठ–IV के अन्तर्गत नियत पारिश्रमिक (Fixed Remuneration) के हकदार होंगे। इसके अतिरिक्त अन्य भत्ते यथा– मकान किराया भत्ता, महंगाई भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, विशेष वेतन आदि देय नहीं होंगे।
5. परिवीक्षाधीन अवधि में कोई वार्षिक वेतन वृद्धि देय नहीं होगी।
6. यदि अभ्यर्थी का कार्य एवं आचरण परिवीक्षा अवधि में कभी भी अथवा परिवीक्षाकाल की समाप्ति पर संतोषप्रद नही पाया गया तो उन्हें बिना किसी क्षतिपूर्ति के सेवा से किसी भी समय विमुक्त किया जा सकेगा।
7. परीवीक्षाकाल के संतोषजनक पूर्ण होने के उपरान्त ही चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद की पे–मैट्रिक्स लेवल संख्या–2 में नियमानुसार वेतन एवं भत्ते इत्यादि देय होंगे।
8. परिवीक्षा कालावधि में अन्य सुविधा या अवकाश आदि राजस्थान सेवा नियमों में संशोधित प्रावधानों के अनुसार देय होंगे।

9. राज्य सरकार द्वारा वर्तमान में जारी पेंशन योजना के प्रावधान लागू होंगे एव अन्य आदेश जो राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये हो उनके अधीन ही सेवा एवं सेवा लाभ देय होंगे।

10. यदि अभ्यर्थी के दस्तावेजों में कोई कमी अथवा दस्तावेज फर्जी पाये जाते हैं, तो इनकी सेवाऐं तत्काल समाप्त की जा सकेगी।

11. उक्त अभ्यर्थी की जन्म तिथि उनके द्वारा प्रस्तुत सैकण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण करने के मूल प्रमाण पत्र के आधार पर अंकित की गई है। अंकित की गई जन्म तिथि अपरिवर्तनीय होगी।

12. चयनित अभ्यर्थी के अपने से वरिष्ठ/कनिष्ठ के पूर्व में एवं बाद में कार्यभार ग्रहण करने की स्थिति में इनकी वरिष्ठता पर कोई प्रभाव नही पड़ेगा। इनकी वरिष्ठता का निर्धारण राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जारी मेरिट सूची के आधार पर ही होगा।

13. अभ्यर्थी को कार्यभार संभालने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

14. जो अभ्यर्थी पूर्व से ही नियमित राज्य सेवा में कार्यरत है, उन्हें राज्य सरकार के नियमानुसार ही वेतन, भत्ते देय होंगे परन्तु पदस्थापन पर कार्यग्रहण के समय पूर्व नियोजक के द्वारा उचित माध्यम (Through Proper Channel) से कार्यमुक्त किए जाने का आदेश, अनापत्ति प्रमाण–पत्र एवं गत भुगतान प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा। पूर्व से ही नियमित राज्य सेवा में कार्यरत अभ्यर्थियों हेतु कार्यग्रहण के समय पुलिस विभाग द्वारा चरित्र एवं पूर्व–वृत सस्थापन एवं स्वास्थ्य प्रमाण प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं है।

15. उक्त नियुक्ति संबंधित सेवा नियमों एवं राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों/परिपत्रों के अन्तर्गत शामिल होगी एवं समय–समय पर जारी किये गये निर्देश/परिपत्र लागू होंगे।

16. उक्त नियुक्ति आदेश भर्ती से संबंधित माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में विचाराधीन एस.बी.सिविल याचिका संख्या 1905/2026, 4084/2026, 18091/2025 एवं विभिन्न याचिकाओं में पारित होने वाले अंतिम निर्णयों के अध्ययधीन रहेगा।

ह.

(डॉ. पृथ्वी)
सचिव
राज्यपाल, राजस्थान

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. प्रमुख विशेषाधिकारी, राज्यपाल, राजस्थान, लोक भवन, जयपुर।
2. शासन उप सचिव, प्रशासनिक सुधार (अनुभाग–3) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. वित्तीय सलाहकार, राज्यपाल सचिवालय, लोक भवन, जयपुर।
4. निजी सचिव, सचिव, राज्यपाल, लोक भवन, जयपुर।
5. प्रभारी (आई.टी.), राज्यपाल सचिवालय, लोक भवन, जयपुर– कृपया लोक भवन की वेबसाईट पर सूचना प्रदर्शित करावें।
6. बिल लिपिक, राज्यपाल सचिवालय– दो प्रतियों में।
7. संबंधित अभ्यर्थी।
8. निजी/रक्षित पत्रावली।

उप सचिव
राज्यपाल, राजस्थान